(1)

29

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /II/निगरानी/2017–सिंगरौली 1921/1876

मृत कृष्ण प्रताप सिंह पुत्र श्री रामगोपाल सिंह

वसीयतग्रहिता

1. महेश प्रताप सिंह पुत्र कृष्ण प्रताप सिंह,
2. जयासिंह पुत्री महेश प्रताप
3. रोशनी सिंह पुत्री महेश प्रतापसिंह

निवासी–ग्राम मेढ़ोली तहसील व जिला सिंगरौली

.............निगरानीकर्ता

बनाम

मध्य. प्रदेश शासन ....अनावेदक

श्री कृष्ण सिंह अभि० द्वारा आज दि० 23-6-17 प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 23.6.17 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत पालनार्थ आदेश नायब तहसीलदार सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 76/अ–6–अ/92–93 कृष्ण प्रताप सिंह/मध्य प्रदेश शासन में पारित आदेश दिनांक 19.08.1993 को पालन कराने बावत् ।

श्रीमानजी,

यहकि, उक्त तहसील प्रकरण 76/अ–6–अ/92–93 आदेश दिनाक 19.08.1993 में मृत कृष्ण प्रताप सिंह ने धारा 115, 116 के अंतर्गत नायब तहसीलदार के यहां आवेदन पेश किया कि, हमारी

2017 APRIL-405

23/6/17

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/सिंगरौली/भू.रा/2017/1876

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
4-4-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री कुंअर सिंह कुशवाह उपस्थित। शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। श्री कुशवाह द्वारा उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण आज ही सुन लिया जावे। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार सिंगरौली के प्रकरण कमांक 76/अ–6–अ/1992–93 में पारित आदेश दिनांक 19.8.93 के विरूद्व इस न्यायालय में म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदक ने 21.11.92 को नायब तहसीलदार सिंगरौली को आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि आराजी में से कुछ रकवा छूट गया है उसे संशोधित किया जावे। दिनांक 19.8.93 को दुरूस्त की गई लेकिन पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेख में अमल नहीं किया गया। आवेदक द्वारा मान0 उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन 7399/13 के आदेश दिनांक 6.5.13 कृष्ण प्रताप सिंह के पक्ष में आदेश पारित कर उक्त रिकार्ड को दुरूस्त करने हेतु आदेश पारित किया। इसके बाद भी रिकार्ड दुरूस्त नहीं होने से यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।	

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/सिंगरौली/भू.रा/2017/1876

4– उभयपक्ष के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट कि आवेदक ने 21.11.92 को नायब तहसीलदार सिंगरौली को आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया था कि आराजी में से कुछ रकवा छूट गया है उसे संशोधित किया जावे। नायब तहसीलदार ने दिनांक 19.8.93 को दुरूस्त की गई लेकिन पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेख में अमल नहीं किया गया। आवेदक द्वारा मान0 उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन 7399/13 के आदेश दिनांक 6.5.13 कृष्ण प्रताप सिंह मृत वारिसान महेश प्रताप सिंह आदि के पक्ष में आदेश पारित कर उक्त रिकार्ड को दुरूस्त करने हेतु कलेक्टर को आदेशित किया गया है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मान0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 6.5.13 के तारतम्य में कलेक्टर जिला सिंगरौली की ओर भेजकर आदेशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण में कार्यवाही करें। यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सदस्य